बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

विषयः– Civil Appeal No.-6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–03.01.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–316(आ.चि.), दिनांक–25.03.2023 को निरस्त करने के संबंध में।

राज्य आयुष समिति, बिहार के द्वारा आयुष केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में ही E-Proc Portal के माध्यम से ऑनलाईन निविदा प्रकाशित किया गया, जिसे तकनीकी कारणवश विज्ञप्ति संख्या–SASB/ DRUGS/01-19 के माध्यम से राज्य आयुष समिति द्वारा निरस्त किया गया। इसी क्रम में पुनः वित्तीय वर्ष 2020–21 में विज्ञप्ति संख्या–SASB/AYUSH/25/19-Part-I-143 एवं विज्ञप्ति संख्या–SASB/AYUSH/25/19-Part-II-228 के द्वारा भी निविदा प्रकाशित की गयी, जिसे औषधि निमार्णकर्त्ता/फर्म द्वारा विज्ञप्ति में दिये गये शर्त्तों को पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में निरस्त किया गया ।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–Z.28015/32/2016-H&D cell, dated-22.08.2019 में अंकित है कि At least 50% of the Grant-in-aid provided should be used for procuring medicine from M/s Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Limited (a Central Public Sector Undertaking under Ministry of AYUSH) or from other Central/State Public Sector Undertaking, pharmacies under State Governments and under Co-operatives. साथ ही आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के D.O.No.-13014/01/2020-AYUSH(IMPCL), Dated-04.02.2020 के द्वारा भी व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Vetted संस्थान Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited (IMPCL)के माध्यम से राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशो को निविदा आमंत्रण के बिना आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

चूँकि राज्य आयुष समिति, बिहार के द्वारा पर्याप्त औषधियों के क्रय के अभाव में सभी संचालित आयुष स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन में व्यवहारिक एवं तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हुई। साथ ही आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भी औषधि मद में विमुक्त राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मॉग समय–समय पर की जा रही थी। अतएव ऐसी स्थिति में सभी आयुष संस्थानों में औषधियों का निर्धारित मापदंडों पर यथाशीघ्र क्रय किये जाने की नितान्त आवश्यकता परिलक्षित हो रही थी।

इस संबंध में राज्य आयुष समिति, बिहार के गठित कार्यकारिणी समिति की दिनांक–01.12.2022 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की

शर्त्त पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम IMPCL (Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited) से आयुष औषधियों (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

वित्त विभाग की सहमति के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–316 (आ.चि.) दिनांक–25.03.2023 द्वारा राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों यथा–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्तं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं आयुष औषधालयों आदि के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि का क्रय बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम–131 ठ (ii) के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम, Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited (IMPCL) से किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया था।

Civil Appeal No.-6693/2022 (M/s Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited V/s Kerala Ayurvedic Co Operative Society Ltd. & ors) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–03.01.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"...21. The appellant-State contends that since in the present case, there is no involvement of 'State largesse' and no disposal of State property, it was not bound to grant the contract to IMPCL through tender. It is argued that in such a situation, the High Court on a perusal of the relevant material, ought to have only scrutinised if there was an oblique motive involved in purchasing medicines from IMPCL. Government contracts involve expenditure out of the public exchequer. Since they involve payment out of the public exchequer, the moneys expended must not be spent arbitrarily. The State does not have absolute discretion while spending public money. All government actions including government contracts awarded by the State must be tested on the touchstone of Article 14.

22. The following principles emerge from the discussion above:

(i) Government action must be just, fair and reasonable and in accordance with the principles of Article 14; and

(ii) While government can deviate from the route of tenders or public auctions for the grant of contracts, the deviation must not be discriminatory or arbitrary. The deviation from the tender route has to be justified and such a justification must comply with the requirements of Article 14.

30. The action of the appellants of procuring medicines only from IMPCL to the exclusion of the other establishments mentioned in paragraph 4(vi)(c) is arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution.

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के दिनांक 18.11.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध IMPCL द्वारा दायर अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में राज्य आयुष समिति, पटना के पत्रांक–153(SASB), दिनांक–05.03 2025 द्वारा स्वास्थ्य विभागीय सकल्प सख्या–316(आ.चि.), दिनांक–25.03.2023 को निरंस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः Civil Appeal No.-6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–03.01.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–316(आ.चि.), दिनांक–25.03.2023 को निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.06.2025 के मद संख्या–25 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा–16) को भी उपलब्ध करायी जाय।**

6.6.25

(शम्मु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः 16/एम1–03/2023–873(आ.चि.) **/पटना, दिनांक** – 06·6·2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पंदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–03.06.2025 की बैठक के मद संख्या–25 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.6.25

सरकार के अपर सचिव